जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारक :—

जाति व्यवस्था में होने वाले उपर्युक्त परिवर्तन कई कारकों के संयुक्त परिणाम हैं जिसका वर्णन निम्नांकित रूप से किया जा सकता है—

(i) ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद से ही व्यक्ति ईसाई धर्म की एकता और समानता से प्रभावित होने लगे थे यही भावना थी जिसके फलस्वरूप भारत में सुधार आन्दोलन का सूत्रपात हुआ जिसने जाति प्रथा का विरोध किया।

~~[illegible]~~

(ii) भारत में औद्योगीकरण के फलस्वरूप व्यक्ति की स्थिति आर्थिक आधार पर निर्धारित होने लगी। इसके परिणामस्वरूप व्यक्ति की सामाजिक और धार्मिक स्थिति उसकी जाति और वंश से प्रभावित न होकर उसकी आर्थिक सफलता से प्रभावित होने लगी। परिवहन और संचार के साधनों में तीव्र विकास से सभी जातियों के व्यक्तियों को एक दूसरे के निकट सम्पर्क में आने का अवसर मिला जिससे जातीय बन्धन शिथिल पड़ने लगे।

(iii) भारत में आधुनिक शिक्षा के विस्तार के साथ ही एक बड़े वर्ग ने जाति व्यवस्था जैसी सभी व्यवस्थाओं का विरोध करना आरम्भ कर दिया। शिक्षा से तर्क का महत्व बढ़ा और जाति के धार्मिक आधारों को तार्किक दृष्टिकोण से देखा जाने लगा और इन मान्यताओं पर प्रश्न खड़ा किया जाने लगा।

(iv) स्वतंत्रता आन्दोलन के समय महात्मा गांधी, तिलक, लाला लाजपत राय और बहुत से क्रान्तिकारियों के नेतृत्व में सभी धर्मों, सम्प्रदायों, जातियों और वर्णों के व्यक्तियों ने कन्धे से कन्धा मिलाकर राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार किया जिससे परिणामस्वरूप जातिगत दूरी कम हुई।

(v) भारत में प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापित होने के बाद जाति-व्यवस्था की संरचना अपने आप ही विघटित होने लगी क्योंकि प्रजातंत्र का मूलदर्शन, समानता, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है जबकि जाति व्यवस्था जन्म से ही व्यक्ति को भेदभाव, निम्न जातियों के शोषण और धार्मिक कट्टरता की सीख देती है।

(vi) भारत में जाति-व्यवस्था इसलिए एक प्रभावपूर्ण संस्था बनी हुई थी क्योंकि इसकी उत्पत्ति और नियमों को धर्म और अलौकिक विश्वासों के साथ जोड़ दिया गया था। सम्प्रति जाति सम्बन्धी धार्मिक विश्वासों में कमी आयी है।

(vii) परम्परागत रूप से जाति पंचायतों ने जातिगत नियमों को स्थिर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था जो जाति प्रथा के नियमों का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को जाति से बहिष्कार करके आर्थिक जुर्माने से तथा कभी-कभी शारीरिक क्षति पहुंचाकर दण्डित करती थी। वर्तमान समय में जाति पंचायतों का दण्ड देने का अधिकार पूर्णतया समाप्त हो चुका है।

(viii) जाति को स्थायी बनाने में संयुक्त परिवारों का योगदान सदैव महत्वपूर्ण रहा है। संयुक्त परिवार बच्चे को आरम्भ से ही परम्परागत जीवन व्यतीत करने कर्मकाण्डों और रूढ़ियों में विश्वास करने तथा जातिगत भेदभाव को सिखाने का केन्द्र-स्थल रहे हैं। औद्योगीकरण तथा व्यवसायों की विविधता के कारण संयुक्त परिवारों के विघटन ने जाति व्यवस्था को कमजोर किया।

(IX) आधुनिक शिक्षा के प्रसार और सुधार आन्दोलनों के कारण स्त्रियों की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है, वे स्वयं उन जातिगत नियमों का विरोध करने लगी हैं जिनके कारण उनका जीवन पशु-तुल्य हो गया था।

(X) स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में जितने भी सामाजिक अधिनियम बने उनमें से अधिकतर विभिन्न जाति प्रथा की सैद्धान्तिक मान्यताओं के विरुद्ध हैं। 1954 के विशेष विवाह अधिनियम ने अन्तर्विवाह प्रतिबन्धों पर प्रभाव डाला। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, 1955 के द्वारा अस्पृश्यता अथवा इससे सम्बन्धित सभी प्रकार के आचरण को अपराध घोषित कर दिया गया। सन् 1956 में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के द्वारा मिताक्षरा और दायभाग के भेद को समाप्त करके स्त्रियों को पुरुषों के समान ही सम्पत्तिक अधिकार दिए गए। इन सभी अधिनियमों के कारण एक ऐसे समतामूलक पर्यावरण का निर्माण हुआ जिसमें जाति प्रथा के स्थायित्व पर कठोर आघात हुआ क्योंकि जाति व्यवस्था अपनी प्रकृति में असमानताओं पर आधारित थी।

निष्कर्ष/मूल्यांकन → उपर्युक्त कारकों के फलस्वरूप जाति व्यवस्था में उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों के आधार पर कुछ विद्वानों ने निष्कर्ष दिया है कि वर्तमानकाल में जाति व्यवस्था क्रमशः वर्ग व्यवस्था के रूप में परिवर्तित हो रही है।

Notes

राधा कमल मुखर्जी का विचार है कि आज छुआछूत और खान-पान के प्रतिबन्ध ही ढीले नहीं पड़े बल्कि जातियों की परम्परागत स्थिति भी परिवर्तित हो रही है। इसके अतिरिक्त भारत में आज अधिकतर जातिगत संघ अपनी जाति के सभी सदस्यों के लिए सेवाएँ प्रदान करने की प्रवृत्ति अपना रहे हैं ऐसे वर्गों की संख्या भी बढ़ रही है जिनकी सदस्यता किसी जाति से सम्बन्धित न होकर एक विशेष व्यवस्था से सम्बन्धित है। ये परिवर्तन इस बात के प्रतीक हैं कि जाति व्यवस्था के रूप में समाज का विभाजन सैद्धान्तिक

रूप से भले ही विद्यमान है लेकिन व्यावहारिक रूप से प्रत्येक जाति में वर्ग के समान ही खुलापन आ रहा है।

स्पष्ट है कि जाति व्यवस्था में निश्चित तौर पर अनेक परिवर्तन परिलक्षित हुए हैं, परन्तु इन तमाम परिवर्तनों के बावजूद जाति की वंशानुगत सदस्यता, संस्तरण तथा इसके अंतर्विवाह संबंधी पक्ष में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। दूसरी ओर, आधुनिकीकरण के प्रभाव ने निम्न जातियों को प्रौद्योगिक सुधार हेतु अभिप्रेरित किया है। फलतः ये जातियां जाति को आधार के रूप में इस्तेमाल करते हुए ऊर्ध्वमुखी सामाजिक गतिशीलता हेतु उन्मुख है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारतीय जाति व्यवस्था आधुनिक परिवर्तनों के साथ अभी भी अपनी निरंतरता बनाए हुए है अर्थात आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था एक साथ मजबूत एवं कमजोर दोनों हुई है।